सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खेमाराम बनाम आशाराम

7.8.19

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि अपील में पारित निर्णय दिनांक 16–07–2019 एकतरफा तौर पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01–07–2019 को आईदा दिनांक 05–08–2019 को पक्षकारों की सुनवाई करते हुए अंतिम रूप से निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये है तथा उक्त दिनांक बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–07–2019 को स्वतः निष्प्रभावी माने जाने के आदेश प्रदान किये गये है। इस संबंध में उन्होंने अवगत कराया कि अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राप्त की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करवाया गया है। जबकि प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए किया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिनांक 16–07–2019 की पालना स्थगित करने व वादग्रस्त भूमि चक 3 डीएल के मुरब्बा नम्बर 168/48, 168/56 व 168/64 के प्रत्येक के किला नम्बर 21 ता 25 के मौके की यथास्थिति कायम रखने की इस्तदुआ की गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा आदेश जैर अपील में निर्णय पारित करते हुए पक्षकारों को आगामी नियत दिनांक 05–08–2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आकर येन–केन–प्रकारेण अपील में पारित आदेश को संशोधन कराना चाहते है। न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। ऐसीस्थिति में अब किसी निस्तारित अपील को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के पुनः सुनवाई पर नहीं लिया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर उभय पक्षों को पक्षों को सुना गया व आदेश दिनांक 16–07–2019 का अवलोकन किया गया।

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 29/2019 में दिनांक 16–07–2019 को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए पक्षकारों को दिनांक 05–08–2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हेतु निर्देशित किया गया तथा एकतरफा आदेश दिनांक 01–07–2019 को अंतिम रूप से निस्तारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को पाबन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उक्त निर्धारित दिनांक 05–08–2019 को पीठासीन अधिकारी छत्तरगढ़ मुख्यालय पर नहीं थी ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक को प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की आड़ में वे प्रार्थी तथाकथित रास्ते को खोलने पर अमादा है। अतः उक्त आदेश की पालना स्थगित फरमाई जावे। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है, व प्रार्थी के कथनानुसार उक्त निर्धारित दिनांक को पीठासीन अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित नहीं थे। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–07–2019 में निर्धारित की गई दिनांक 05–08–2019 को दिनांक 09–08–2019 तक बढ़ाया जाता है। अन्य आदेश यथावत रहेगा। पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner